संख्या : 56 / IV(1)/2009–47(कुम्भ) / 2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :4 फरवरी, 2009

विषय: जनपद हरिद्वार में पुरकाजी–लक्सर मार्ग पर लक्सर में लेबिल क्रांसिग सं. 504 पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु अवशेष धनराशि के व्यय की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 907 / IV(2)/2008–47(कुम्भ) / 2008 दिनांक 19.11.2008 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अधिशासी अभियंता (निर्माण), उत्तर रेलवे, मुरादाबाद द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रू. 849.75लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू. 790.85लाख की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2008–09 में **रू. 400लाख (रू. चार करोड़ मात्र)** की धनराशि को व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त शासनादेश के द्वारा समस्त कार्यों हेतु रू. 2619.75लाख की लागत के विपरीत रू. 2558.88लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2. तत्क्रम में मुख्य अभियंता / निर्माण / पूर्व, उत्तर रेलवे मुख्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली के पत्र संख्या 260-W/665/W.Spl./Estt दिनांक 16.01.2009, जिसके द्वारा रेलवे द्वारा गठित आगणन की यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा आमंत्रण एवं अन्तिमीकरण की कार्यवाही किए जाने हेतु अवशेष धनराशि रू. 449.75लाख भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त कार्य हेतु उत्तर रेलवे द्वारा गठित उपरोक्त आगणन की सम्पूर्ण लागत रू. 849.75लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण कार्य हेतु कुल रू. 2617.78लाख (रू. छब्बीस लाख सत्रह लाख अटहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, उक्त शासनादेश के सापेक्ष उक्त कार्य हेतु अवशेष **रू. 449.75लाख (रू. चार करोड़ उन्चास लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि को भी वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उत्तर रेलवे द्वारा उक्त कार्य को प्रत्येक दशा में कुम्भ मेला, 2010 के प्रारम्भ होने से पूर्व माह दिसम्बर, 2009 में पूर्ण कर चालू कर दिया जाएगा।

2. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथासमय उपयोग करके कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

5. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा। धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जाएगा और प्रथम किश्त के उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त का आहरण किया जाएगा।

6. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 19.11.2008 के अनुसार लागू रहेंगे।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के 'अनुदान संख्या–13' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा" के अन्तर्गत मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 796/XXVII(2)/2008 दिनांक 04फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या : 56 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक। 4/2/09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. मुख्य अभियंता/निर्माण/पूर्व, उत्तर रेलवे मुख्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली।
12. अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता (निर्माण), उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।